

28/07/24 पत्रावली पेश / उच्च न्यायालय की वकील उपा. /
 पत्रावली के अन्तर्गत विषय अध्यापक
 सं. 2, 3, 5, 6 को उच्च न्यायालय दिख
 जाने के कारण उच्च न्यायालय पेश नहीं किया है
 अतः अध्यापक सं. 2, 3, 5 व 6 का जवाब नहीं
 दिया जा रहा है वकील द्वारा की वृत्त पुनी
 गरी। वकील द्वारा ने प्रार्थना पत्र के हस्त
 को दोहराए हुए निवेदन किया कि प्रार्थना
 प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अध्यापक
 के विरुद्ध आचार्य नियुक्तियां जाते फरमावे
 हंगे वकील द्वारा की वृत्त पत्र मंगल किया
 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
 मंगली मांदि अध्ययन व अवलोकन
 किया अतः न्यायालय में प्रार्थना का प्रार्थना
 वृत्त लयगत स्वीकार किया जाता है रवा
 इस न्यायालय के आदेश दि. 03.12.2015
 को पुरखा किया जाता है अतः पत्रावली
 केसल शुद्ध होकर न्यायालय ले जाते होकर
 वकील अपील के लिये मंगल होत

सहायक कलेक्टर, सांचीर
 (उपखण्ड अध्यापक, सांचीर)